(24) (24)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/2651 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.06.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 316/14-15/अपील.

दिलीप कुमार पुत्र स्व. श्री सरनाम उर्फ गढडे बाल्मिकी
निवासी नयापुरा, सिंधी कॉलोनी के पास, लश्कर, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

मुन्नी देवी पत्नी स्व. श्री बद्री प्रसाद पाल
निवासी तिलक नगर, ग्वालियर, म.प्र. .....अनावेदक

श्री पी.के. तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री पी.एन. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 28.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय, ग्वालियर में अनावेदक श्रीमती मुन्नी देवी द्वारा ग्राम गुढा के सर्वे क्रमांक 17 में से रकबा 1188 वर्गफुट पर आवेदक द्वारा अतिक्रमण किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र.

5/14-15/अ-70 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर दिनांक 04.03.2015 को आवेदक को बेदखल करने और 2.24 लाख रू. अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश दिया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, लश्कर जिला ग्वालियर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.05.2015 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.06.2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदक द्वारा उठाये गये इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि वर्तमान प्रकरण पर संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक दृष्टि से शून्य होने से निरस्ती योग्य है।

(2) प्रश्नगत भूमि पर आवेदक सन् 1985 से इस आधार पर काबिज है कि आवेदक के पिता स्व. श्री सरनाम बाल्मिकी को दिनांक 31.05.1985 को भूमिहीन आवासहीन होने के आधार पर विधिवत् पट्टा सक्षम अधिकारी श्री डी.आर. नायडू के हस्ताक्षरीय से जारी किया गया था तथा तहसीलदार द्वारा साक्षीगण की उपस्थिति में मौके पर कब्जा दिया गया, जिस पर स्व. श्री सरनाम द्वारा नगर पालिका निगम ग्वालियर में अपना नामांतरण कराकर संपत्ति कर निरंतर अदा किया जाकर संपत्ति पर अपना विधिवत कब्जा व दखल जारी रखा गया, जिसका वर्तमान समय में भी संपत्ति कर जमा किया जाता रहा है। उक्त तथ्य के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भी अभिमत दिये बिना पारित आदेश वैधानिक दृष्टि से निरस्ती योग्य है।

(3) अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर आवासीय पक्का मकान बना हुआ था एवं प्रश्नगत भूमि शहरी आबादी की भूमि है, जिस पर संहिता की धारा 250 की संक्षिप्त प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किये जाने में विधि की गंभीर भूल की है, जबकि

उक्त प्रश्नगत भूमि पर संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिये गये अभिमत एवं विचारण न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही नितांत शून्य एवं क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्ती योग्य है।

(4) अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा बिना विधिवत सीमांकन किये पारित आदेश अवैध होने से निरस्ती योग्य है।

(5) अनावेदिका द्वारा प्रश्नगत भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया जाना बताया गया है, जबकि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर बेदखली की कार्यवाही संहिता की धारा 250 के तहत नहीं की जा सकती, जिसको मात्र अनावेदिका के प्रभावशाली होने के कारण अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर सहायता प्रदान की गई है, जो कि विधिक दृष्टि से निरस्ती योग्य है।

(6) अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट अनावेदिका के प्रभावशाली होने के कारण मनमाने ढंग से प्रस्तुत की गई है, जिस पर आवेदक को प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किये बिना तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अभिलेख पर लिये बिना पारित आदेश वैधानिक प्रक्रिया एवं न्यायिक सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है।

(7) आवेदक हरिजन जाति का है, जिस पर अनावेदक द्वारा गैर कानूनी ढंग से प्रभाव डालकर एवं राजस्व कर्मचारियों से मिलकर कार्यवाही कराई गयी है, जिसको समझने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा गंभीर भूल की है एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के समक्ष आवेदक द्वारा उठाये गये कानूनी बिन्दुओं को भी नजरअंदाज कर संक्षिप्त अपील को निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की है, जो कि निरस्ती योग्य है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वादित भू-खण्ड भूमि सर्वे क्रमांक 17 का भाग है राजस्व अभिलेख में सर्वे क्रमांक 17 लगायत 24 किता 8 भूमिस्वामी खरगोबाई के स्वामित्व की है। राजस्व अभिलेख में यह भूमियॉ कृषि भूमि के रूप में दर्ज है, इसलिये संहिता के प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही हेतु तहसीलदार सक्षम है तथा जॉच में प्रथमदृष्टया आवेदक का बेजा कब्जा होना पाया गया है। इस संबंध में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-06-2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-06-2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर